संख्या-8/2016/1117(2)/86-2016-187/2014टीसी

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय- निदेशालय में मल्टीजोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कैमरा सहित संतरी पोस्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट पोर्टेबल, भूमिगत वैहकिल कार स्क्रेनर सिस्टम, पोर्टेबल केबिन प्रसाधन सहित सज्जा/उपकरण स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3482/2015-16 मद-26-सज्जा/उपकरण और संयन्त्र दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक" 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एक मुश्त व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 204.00 लाख के सापेक्ष निम्न कार्य हेतु 65.26 लाख (रूपये पैंसठ लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 स0	स्वीकृत कार्य योजना				कार्यदायी संस्था जिसे धनराशि आवंटित की जानी है।	स्वीकृत/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये में)
	कार्य का विवरण	संख्या	प्रतिनग मुल्य	धनराशि		
	निदेशालय में मल्टीजोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कैमरा सहित।	3 अदद	दर रू0 2,50,000.00	915600.00 सभी कर सहित	पी0ई0सी0 लिमिटेड हंसालय 15 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली	6526420.00
	निदेशालय में मैन गेट तथा मंदिर के साइड लगे गेट पर सतरी पोस्ट पोटेबल स्थापित किया जाना।	2 अदद	दर रू0 98750.00 सभी कर सहित	197500.00		
	निदेशालय में भवन के आगे-पीछे प्रांगण हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट का लगाया जाना।	22 अदद	दर रू0 65940.00 सभी कर सहित	1450680.00		
	अन्वेषण/वेधन के शिविर कार्यालय हेतु पोर्टेबल केबिन प्रसाधन सहित।	4 अदद	दर रू0 990660.00 सभी कर सहित	3962640.00		
					अर्थात कुल रूपये (राउण्ड फीगर में)	6526000.00

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त धनराशि निम्न शर्तो के तहत आहरित/व्यय की जायेगी।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों/मशीनों के क्रय में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(2) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय किये जा रहें उपकरणों/मशीनों गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(3) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत व्यय के फलस्रूप किसी भी प्रकार की क्रय की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(4) क्रय किये जा रहें उपकरणों/मशीनों के सापेक्ष भुगतान तभी किया जायेगा जब क्रय की गयी वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक के रूप में सुनिश्चित हो जायेगी।

(5) किसी भी स्थिति में स्वीकृति धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नही किया जायेगी।

2. उपरोक्त कार्यों पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक ''4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401- एक मुश्त व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2014, दिनांक 30.05.2015 के प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1117(3)/86-2016 तददिनांक -:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0प्र0 कानपुर।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in